राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान)

शारीरिक शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम (बी.पी.एड.)
2021 में प्रवेश हेतु

सामान्य दिशा–निर्देशिका

प्रो. राजीव जैन
कुलपति

डॉ. वी.के. गुप्ता
समन्वयक
प्री.बी.पी.एड.–2021

प्री. बी.पी.एड. प्रवेश परीक्षा कार्यालय 2021
खेल बोर्ड
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
दूरभाष नं. 0141–2711150, 2700733
ई–मेलः **pbped2021@gmail.com**
मो. नं. 9414887633, 9828045506 (प्रातः 11:00 बजे से सायंकाल 7:00 बजे तक)
वेबसाईट– **www.pbped2021.com**

प्री.बी.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

- **प्रवेश एजेन्सी राजस्थान विश्वविद्यालय** : राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा पत्रांक– एफ–10(3)शिक्षा ग्रुप–4)/2016 पार्ट जयपुर के दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 के द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों के विभिन्न शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम के सत्र 2021–22 में प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को अधिकृत किया गया है।
- बी.पी.एड.की वेबसाईट **www.pbped2021.com** पर सामान्य दिशा निर्देशिका के अध्ययन के पश्चात ही योग्य इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करें।
- प्रवेश हेतु राज्य सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा समय समय पर जारी आदेश, निर्देश आदि लागू होंगे।
- सत्र् 2021–22 के लिए राजस्थान के समस्त राजकीय, निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में बी.पी.एड. के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाइट **www.pbped2021.com** से पंजीकरण कर 22 अप्रैल, 2021 से 21 मई, 2021 तक परीक्षा शुल्क रू. 700/–भुगतान ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग से करनी होगी। परीक्षा शुल्क उपरोक्त माध्यम से ही स्वीकार होगा। सफलतापूर्वक ऑनलाईन भुगतान के पश्चात अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे।

  आवेदक ध्यान दें : –

  (क) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदन पत्र का Preview चैक करें। यदि आवेदन पत्र में कोई भी सूचना सही नहीं है या आपके विवरण से मेल नहीं खाती है तो इसे निरस्त मानकर प्रारम्भ से नया आवेदन करें।

  (ख) आवेदन पत्र में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े।

  (ग) एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् शुल्क वापस नहीं होगा।

  (घ) यदि तकनीकी कारणों से परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन विफल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 30 मिनट इन्तजार पश्चात् वेबसाईट पर उपलब्ध Check Payment Status विकल्प पर चैक करने पर यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन सफल दर्शाता है तो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया हेतु आगे बढ़ें तथा यदि परीक्षा शुल्क का ट्रांजेक्शन इस स्थिति में भी विफल रहता है तो पुनः ऑनलाईन प्रक्रिया से शुल्क जमा करवाना होगा। फेल ट्रांजेक्शन का शुल्क लौटाने की कार्यवाही दो सप्ताह में बैंक द्वारा स्वतः ही उसी खाते में की जाएगी जिस खाते से शुल्क जमा हुआ था।

  (ड़) ट्रांजेक्शन सम्बन्धी समस्या के समाधान हेतु आईसीआईसीआई बैंक हेल्प लाइन नम्बर – 9116136997 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- ऑनलाईन भुगतान के पश्चात वेबसाईट पर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बोर्ड/विश्वविद्यालय की अंकतालिकाओं के अनुसार भरें। **साथ ही अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाएं जिस पर समय–समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।**

  उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण (बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या एवं आइएफएससी कोड) सही–सही भरें। काउंसलिंग पश्चात् प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु जमा करवाया गया शुल्क रूपए 5000/– में से प्रक्रिया शुल्क घटाने के पश्चात् शेष शुल्क राशि उक्त विवरण के आधार पर ही लौटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी।
- ऑनलाईन भुगतान के पश्चात वेबसाईट पर आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने स्वयं के सही मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आईडी उपलब्ध करवाएं जिस पर समय–समय पर सूचना प्रेषित की जा सके।
- उक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपने स्वयं के बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण (बैंक का नाम, बैंक शाखा, खाता संख्या एवं आइएफएससी कोड) सही–सही भरें। काउंसलिंग पश्चात् प्रवेश से वंचित अभ्यर्थियों को उक्त विवरण के आधार पर ही शुल्क लौटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी।
- ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तीन प्रतियों में प्राप्त करें।
- ऑनलाईन आवेदन भरने के पश्चात हार्ड कॉपी संभाल कर रखें। उक्त हार्ड कॉपी समस्त दस्तावेजों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- **प्रशिक्षण** :– पाठ्यक्रम का नाम शारीरिक शिक्षा में स्नातक (B.P.Ed) द्विवर्षीय न्यूनतम 200 कार्य दिवस प्रति शिक्षा सत्र (प्रति सेमेस्टर न्यूनतम 100 कार्य दिवस) होगा।

- **उद्देश्य** :—इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिवर्ष शारीरिक शिक्षा के अध्यापक, निरीक्षक, निदेशक तैयार करना है ताकि शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर दी जाने वाली शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, जिससे विशेषतः विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व के संतुलित विकास में शारीरिक शिक्षा शिक्षक अपना पूर्ण योगदान कर सके।
- **मान्यता तथा सम्बद्धता** :— इस केन्द्रीयकृत प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित समस्त शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय/विभाग राजस्थान सरकार व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) से मान्यता प्राप्त तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्य के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता है।
- **प्रवेश हेतु महाविद्यालय, सीटें** :— इस सत्र के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित बी.पी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2021—22 हेतु संस्थावार सीटें वेबसाईट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

महत्वपूर्ण चेतावनी/सूचना

परीक्षार्थियों को सावधान किया जाता है कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के तहत किसी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग, कानून के तहत एक अपराध है। तदनुसार प्री बी.पी.एड प्रवेश परीक्षा 2021 में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उनका सहारा लेने के दोष में लिप्त परीक्षार्थियों एवं उन्हें ऐसा करने में सहायता करने वालों को 3 वर्ष तक के लिए जेल की सजा हो सकती है अथवा उन पर रू. 2000/— तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनो सजाएं हो सकती है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के समय पात्रता का निर्धारण स्वयं करें, क्योंकि आवेदन करने के स्तर पर आवेदन पत्रों की जाँच विश्वविद्यालय द्वारा नहीं की जाती है। ऑनलाईन आवेदन करना एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना अभ्यर्थी का अपना जोखिम है। यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अपात्र सिद्ध होता है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

प्री.बी.पी.एड. प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

नोटः— उपरोक्त संस्थाओं एवं सीटों की संख्या हेतु अधिकृत स्थिति राज्य सरकार द्वारा इस सत्र के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण—पत्र, एन.सी.टी.ई की मान्यता एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा सम्बन्धता के अनुसार ही मान्य होगी।

1. **बी.पी.एड का पाठ्यक्रमः**—बी.पी.एड का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अनुसार होगा।
2. **प्रवेश प्रक्रियाः— पात्रता (Eligibility)**
   1. **<u>शैक्षिक योग्यताः—</u>**

- विधिक अनुसार गठित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातक उपाधि में 50 प्रतिशत अंकों से उत्त्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अन्तर महाविद्यालय/ इन्टर जोनल/ जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी होना आवश्यक हैं,

अथवा

- शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों में उत्त्तीर्ण हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्त्तीर्ण हों एवं स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्त्तीर्ण व भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी. एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा अन्तर महाविद्यालय/इन्टर जोनल/जिला/विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिताओं में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि उत्त्तीर्ण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ/आई.ओ.ए./एस.जी.एफ.आई./भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त अभ्यर्थी हों।

अथवा

- स्नातक उपाधि में 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण हो एवं सरकारी सेवा में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक/प्रशिक्षक को कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव हों।

राजस्थान सरकार के प. 10 (3) शिक्षा–4/2012 पार्ट दिनांक 01 अप्रेल, 2016 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।

जो अभ्यर्थी इस सत्र में स्नातक परीक्षा के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे है, वे भी आवेदन कर सकते है। इन अभ्यर्थियों को परामर्श (**Counselling**) के समय उत्तीर्ण की मूल अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, दसवीं, सीनियर सैकेण्डरी की मूल अंकतालिका, मूल खेल प्रमाण–पत्र व समस्त प्रमाण पत्रों की दो–दो फोटो प्रतियाँ प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा अपात्र घोषित मानें जावेगें।

2. **आयु** :– बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना का आधार इस वर्ष का 30 जून, 2021 होगा। 30 जून को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पुरुष (सामान्य वर्ग) 28 वर्ष, सामान्य वर्ग (महिला), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अन्य पिछड़ा वर्ग (पुरूष व महिला) 33 वर्ष, सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक 45 वर्ष व पूर्व सैनिक 40 वर्ष होगा।
3. **शारीरिक योग्यता** :– बी.पी.एड. में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं नितान्त बहरापन नहीं होना चाहिए। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भावस्था में नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यताएं होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त शारीरिक अयोग्यताएं न होने एवं शारीरिक तथा मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा जो पन्द्रह दिनों से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

   निर्देश में वर्णित शारीरिक अयोग्यताओं के बारें में यदि कोई संशय हो तो प्रवेश के समय प्रवेश समिति द्वारा गठित स्थानीय मेडिकल बोर्ड के पास भिजवाया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय प्रवेश के समय प्रवेश समिति एवं प्रशिक्षण के दौरान प्राचार्य द्वारा लिया जाएगा।

1. **शारीरिक क्षमता परीक्षणः**– प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा।

PHYSICAL FITNESS TEST (शारीरिक दक्षता परीक्षण)

वर्ग	समय	दूरी
पुरूष वर्ग	12 मिनट	2200 मीटर
महिला वर्ग	12 मिनट	1800 मीटर

सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण को एक अवसर में ही उत्तीर्ण (Qualify) करना होगा तथा उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षण में अनुत्तीर्ण (Disqualify) होते है, उन्हें सीटों की उपलब्धता होने पर ही पुनः अवसर दिया जायेगा।

प्रवेशार्थी जिस संस्था में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए अपने आवेदन पत्र के क्रमानुसार प्राथमिकता देते हुए विकल्प का उल्लेख करें।

प्रवेश आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के बाद में कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं होगा। आवेदन पत्र में जोड़ने से संबधित किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या दस्तावेज प्रवेशार्थियों द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुति के बाद यदि प्रेषित किए जायेंगें तो जोड़े नहीं जाएंगे साथ ही इस वर्ष स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परामर्श (शारीरिक दक्षता परीक्षण) के समय अथवा निर्धारित तिथि तक स्नातक उत्तीर्ण की दो प्रमाणित छाया प्रतियाँ कार्यालय में जमा करवायेंगें।

आवेदन पत्र में जो संबधित नहीं उसे काट दिया जाये एवं सलंग्न प्रमाण पत्रों का नाम, संख्या व कुल संलग्नकों की संख्या अंकों एवं शब्दों में अंकित करना आवश्यक है, अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

किसी भी विभाग का कर्मचारी यदि आवेदन कर रहा है तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति (No Objection Certificate) आवेदन पत्र जमा करवाते समय आवश्यक रूप से संलग्न करे अन्यथा प्रवेश होने के उपरान्त भी प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व किसी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

3. सीटों का आरक्षणः–

a. कुल सीटों में से समग्र योग्यता (ओवर ऑल मेरिट) के आधार पर 5 प्रतिशत सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आंवटित की जा सकेंगी चाहें अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो बशर्तें राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की

अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नहीं हो शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।

b. अन्य आरक्षण इस प्रकार होगाः–

- **I.** राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत
- **II.** राजस्थान के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12 प्रतिशत
- **III.** राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत
- **IV.** राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20 प्रतिशत (08 प्रतिशत विधवा एवं 02 प्रतिशत तलाकशुदा महिलाओं के लियें आरक्षित रहेगी)।
- **V.** सेवानिवृत्त या सेवारत रक्षाकर्मी तथा उनके आश्रितों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) के आधार पर
- **VI.** राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर के आधार पर 10 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)। उक्त प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2021 एवं इसके पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए।
- **VII.** राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 05 प्रतिशत (राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार देय होगा)

उपरोक्त आरक्षित सीटों के रिक्त रहने पर उन पर प्रवेश सामान्य वर्ग के प्रवेशार्थियों की नियमानुसार बनी वरीयता के आधार पर दिया जायेगा।

c. बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु आंवटित कुल सीटों में से 30 सीटें राज्य सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक जो सी.पी.एड. उत्तीर्ण हो के लिए आवंटित होंगी। इनके प्रवेश का आधार वरिष्ठता होगा, शैक्षणिक अहर्ता एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण अनिवार्य होगा। रिक्त रहने पर सामान्य वरीयता से भरी जायेगी।

i. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(क) सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र 01 अप्रैल, 2021 एवं इसके पश्चात् जारी किया हुआ होना चाहिए। (राज्य सरकार के नियमानुसार)
(ख) अन्य पिछड़ा वर्ग व विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की वैधता एक वर्ष है परन्तु अधिकतम तीन वर्ष तक शपथ पत्र के आधार पर मान्य किया जा सकता है। (राज्य सरकार के नियमानुसार)

ii. विवाहित महिला के संदर्भ में उसके पति का बोनाफाइड निवास स्थान राजस्थान में उनका बोनाफाइड निवास स्थान माना जा सकता है। बशर्ते पति के निवास का बोनाफाइड निवास प्रमाण पत्र पेश किया जाये और विवाह प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो, प्रवेश में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायें।

iii. विधवा एवं तलाकशुदा श्रेणी का लाभ लेने वाली अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा अभ्यर्थियों द्वारा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं तलाकशुदा महिला को न्यायालय से अपने तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र भी कि उसने पुनः शादी नहीं की है, देना होगा।

iv. सेवानिवृत्त सैनिक के लिए रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का डिस्चार्ज (सेवानिवृत्त) प्रमाण पत्र एंव सेवानिवृत्त पुस्तिका होनी चाहिए।

v. किसी भी स्तर पर यदि तथ्यों का विवरण मिथ्या या गलत पाया जाता है तो अभ्यर्थी के स्वतः ही प्रवेश की पात्रता रद्ध हो जायेगी और यदि प्रवेश मिल भी चुका हो तो वह भी निरस्त हो जायेगा।

vi. पात्र अभ्यर्थियों की कुल संख्या में से पहले सामान्य सीटों हेतु चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् आरक्षित कोटे का चयन किया जायेगा और यदि आरक्षित कोटे के स्थान रिक्त रहेंगे तो उन्हें सामान्य श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकेगा और योग्यता सूची से भरा जा सकेगा।

vii. न्यायालय में दायर सभी वादों हेतु क्षेत्राधिकार सिर्फ जयपुर होगा। राजस्थान के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालयों में बी.पी.एड. सत्र 2021–22 में प्रवेश देने की जिम्मेदारी सिर्फ राजस्थान विश्वविद्यालय की है। अतः प्रवेश से संबधित शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो के विरूद्ध न्यायालयों में दायर वाद इस विश्वविद्यालय को स्वीकार्य नहीं होगें। यदि इस प्रकार का कोई प्रवेश शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा दिया जाता है तो वह भी स्वीकार्य नहीं होगा।

4. **शुल्क** :— राज्य सरकार के निर्देशानुसार बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जायेगा। लेकिन काउन्सलिंग के पंजीकरण हेतु रू. 5000/— का चालान से जमा कराने होगें, जो प्रथम वर्ष कुल अपेक्षित शिक्षण शुल्क रू. 22370/—का अंश है।

5. **वरीयता का निर्धारण**:—
बी.पी.एड़ हेतु आवेदन पत्रों को प्रथम राज्य वरीयता/वर्गवार पृथक् किया जाएगा तथा उसके बाद वरीयता का निर्धारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार किया जायेगा।

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत अंकों में से अधिकतम अंक 60 होंगे।
   i. पूरक परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए जाते है उन्हें न मानकर मात्र उत्तीर्णांक सम्बन्धित विषय/विषयों में (न्यूनतम अंक) एवं परीक्षा के अन्य विषयों को जोड़कर प्रतिशत वरीयतांक दिये जायेंगे।
   ii. श्रेणी सुधार हेतु छात्र/छात्राओं के द्वारा जिस परीक्षा में कुल अधिकतम अंक प्राप्त किया जाता है। उन्हें मानकर ही वरीयता सूची बनाई जायेगी, अंक सुधार के प्राप्तांकों को वरीयता बनाने में आधार नहीं लिया जायेगा।

2. मेरिट बनाने का आधार 100 अंक मानकर किया जायेगा
   a. स्नातक परीक्षा (कुल प्राप्तांक का 60 प्रतिशत) 60 अंक
   b. सी.पी.एड, डी.पी.एड. या किसी भी खेल में एक वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा 05 अंक
   c. खेल प्रमाण पत्र के अधिकतम अंक 35 अंक

6. **खेल क्रीड़ा कौशल स्तर योग्यता**:— खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग/माध्यमिक शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, नवोदय विश्वविद्यालय समिति, केन्द्र विद्यालय संगठन की विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और विश्वविद्यालय/खेल बोर्ड द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों/विजेता खिलाड़ियों को उपलब्धि के अनुसार अंक (weightage) दिये जा सकेंगे। ओपन प्रतियोगिताओं के कोई अंक नहीं दिये जायेगें।

I.	विश्व स्कूल खेल (World School Games)/ वर्ल्ड युनिर्वसिटी खेल (World University Games) में प्रतिभागिता/ अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	35 अंक
II.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	30 अंक
III.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	25 अंक
IV.	स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एस.जी.एफ.आई.) की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	20 अंक
V.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	20 अंक
VI.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	15 अंक
VII.	इन्टर जोनल अन्तर विश्वविद्यालय/ स्कूल राज्य स्तर/ संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	13 अंक
VIII.	अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय/जोन अन्तर विश्वविद्यालय/स्कूल राज्य स्तर / संस्कृत विद्यालय राज्य स्तर/ विद्याभारती/के.वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	12 अंक
IX.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/ संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के. वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रथम स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	10 अंक
X.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के. वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	08 अंक
XI.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के. वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर की प्रतियोगिताओं में तृतीय स्थान प्राप्त खेल प्रमाणपत्र धारियों के लिए	06 अंक
XII.	अन्तर महाविद्यालय/संस्कृत अन्तर महाविद्यालय/स्कूल जिला स्तर/संस्कृत विद्यालय संभाग स्तर/ विद्याभारती/ के. वी.एस./नवोदय विद्यालय/आई.पी.एस./ सी.बी.एस.ई. रीजनल या कलस्टर स्तर स्तर की प्रतियोगिताओं मे प्रतिभागी खेल प्रमाण पत्र धारियों के लिए	04 अंक

➢ सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक को उक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ किसी राजकीय/अनुदानित गैर राजकीय विद्यालय में न्यूनतम तीन वर्ष की निरन्तर सेवारत होना आवश्यक है।

7. **प्रवेश प्रक्रिया से सम्बन्धित टिप्पणियां**

- वरीयता निर्धारण के परिणामस्वरूप आने वाली वरीयताओं में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रकिया निर्देश में दर्शायी गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जायेगा। बशर्त की उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।
- वरीयता सूची बनाते समय यदि दो या अधिक प्रवेशार्थियों के प्राप्तांक बराबर हो तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसे उसी अनुरूप वरीयता में स्थान दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में आ जाए तो हिन्दी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आए उसे वरीयता में वरिष्ठ स्थान पर रखा जाएगा।

8. **प्रमाण पत्र**

जाँच करते समय यह देखा जाएगा कि निम्न प्रमाण पत्र क्या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी/ प्रमाणित किये गये है? जारी प्रमाण पत्र की सक्षमता की पुष्टि होने पर ही प्रमाण पत्र वैध माने जाऐंगे अन्यथा वे अमान्य होगे तथा उस पर कोई लाभ देय नहीं होगा। यदि इन प्रमाण पत्रों के संबंध में कोई संदेह की स्थिति प्रवेश आवेदन पत्रों की जॉच एवं मूल प्रमाण पत्रों के मिलान के समय उत्पन्न होती है, जॉच करवाई जाएगी एवं जॉच में प्रमाण पत्रों के गलत/असत्य/अप्रमाणित/ जाली पाए जाने पर प्रवेश प्रकिया की प्रथम स्थिति में प्रवेश ही दिया जाएगा एवं प्रशिक्षण अवधि की द्वितीय स्थिति में सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देकर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा एवं दोषी अभ्यर्थी के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों/ अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजन मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक का अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र (नमूना संलग्न) राजस्थान सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र उस शाला के प्रधानाचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इस पर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर आवश्यक है। हस्ताक्षरकर्ता अपना पूरा नाम अंकित करेगें। हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य के पद के रूप में ही होने चाहिए। अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम तीन वर्ष की लगातार अवधि का होना चाहिए एवं यह तीन वर्ष की अवधि आवेदन पत्र भरने की दिनांक तक निरंतर रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति में ही यह अध्यापन प्रमाण पत्र बी.पी.एड में सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक के निर्धारित स्थान हेतु मान्य होगा।
- **पिता/संरक्षक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र** प्रवेशार्थी के पिता के जीवित होने पर पिता द्वारा एवं पिता के जीवित न होने पर माता/संरक्षक द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है, अविवाहित महिला/विधवा होने पर पिता द्वारा, विवाहित होने पर यह प्रमाण पत्र उसके पति द्वारा दिया जाना आवश्यक है। इस प्रमाण पत्र में पिता/संरक्षक/पति द्वारा यह घोषणा करनी आवश्यक है कि मैं प्रवेश नियमों के अंतर्गत प्रवेश देने एवं प्रवेशार्थी का समस्त व्यय वहन करने हेतु सहमति देता हूँ और पूर्ण प्रशिक्षण काल में प्रवेशार्थी के व्यवहार एवं सभी उत्तरदायित्वों को वहन करूंगा।

नमूना

सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रमाण पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी .... विद्यालय का नाम .... जिला .... की तृतीय वेतन श्रृंखला में प्रथम नियुक्ति तिथि .... है। इनका मूल वेतन .... रूपये प्रतिमाह है। ये वेतन श्रृंखला .... में कार्यरत हैं।

प्रतिहस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी नाम एवं मोहर सहित	हस्ताक्षर संस्थाप्रधान नाम एवं मोहर सहित